संख्या–926 /XXVIII(1)-2011–38/2004 टी.सी.–IV(II cover)

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 7 सितम्बर, 2011

विषयः– **रूद्रपुर मेडिकल कालेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्रस्तावित 300 शैय्यायुक्त टीचिंग हॉस्पिटल के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/मेडि0का0/35/2004/20686 दिनांक 01.07.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूद्रपुर मेडिकल कालेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्रस्तावित 300 शैय्यायुक्त टीचिंग हॉस्पिटल के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा दी गई सहमति की लागत ₹ 4131.60 लाख के सापेक्ष पूर्व वर्षों में अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 1641.00 लाख को सम्मिलित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि **₹ 250.00 लाख (₹ दो करोड़ पचास लाख मात्र)** आपके निर्वतन पर रखने एवं व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि का पूर्ण संतोषजनक व्यय कर लिया गया हों । स्वीकृत धनराशि यथा आवश्यकतानुसार दो किश्तो में प्रथम किशत के पूर्ण संतोषजनक व्यय होने के उपरान्त क्रमिक रूप से आहरित कर सम्बन्धित निर्माण ऐजेंसी परियोजना प्रबन्धक,सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जलनिगम को हस्तांतरित कर दी जायेगी। कार्य कराते समय स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।

3- मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अग्रेत्तर कोई निर्माण बिना व्यय वित्त समिति की स्वीकृति के न किया जाय।

4- विभिन्न निर्माण कार्य हेतु तृतीय पक्ष से गुणवत्ता सुनिश्चितता (third party quality assurance) की व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से वाह्य संस्थाओं द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। अग्रेत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव करते समय तद्विषयक गुणवत्ता रिर्पोट भी अवश्य प्रस्तुत की जाय ।

5- जो कार्य कराये जा रहे है उन्हे एम0सी0आई0 मानको में दी गयी चैक लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित कर ले एवं इन्हे विभाग द्वारा सत्यापित करा लिया जाये तथा उन्ही कार्यो को कराया जाये जो एम0सी0आई0 के मानको में निर्धारित है।

6- एम0सी0आई0 के मानको के आधार पर निर्माण कार्यो को न्यूनतम लागत पर पूर्ण कराया जाये। यह सुनिश्चित किया जाय कि भवनों का निर्माण एम0सी0आई0 के मानको के अनुसार किया जाए तथा इसका प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएं ताकि एम0सी0आई0 द्वारा निरीक्षण के समय निर्मित भवनों को अस्वीकृत न किया जा सके।

7- कार्य कराते समय स्वीकृत धनराशि का उपयोग मानकों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाय। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा प्रश्नगत कार्यो की subcontracting नही की जायेगी।

8- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

9- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

10-कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

11-आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण साम्रगी को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाए एवं उपयुक्त सामग्री का प्रयोग ही किया जाएं।

12-कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

13-स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या दशा में माह 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतयाः निर्गत किया गया है।

14-योजना के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े। जिन कार्यो को आरम्भ किया गया है, उन्हें पूर्ण करने के उपरान्त ही नवीन कार्य आरम्भ किये जाये ।

15-उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या– 12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी–05–रूद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण–24–वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

16-यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 स0–147 (P)/ xxvii (3)/ /2011–12 दिनांक 29 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2 जिलाधिकारी, ऊद्यमसिंहनगर।
3 निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4 वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
5 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6 कोषाधिकारी, ऊद्यमसिंहनगर।
7 परियोजना प्रबन्धक,सी0एण्ड डी0 एस0 जलनिगम ऊद्यमसिंहनगर उत्तराखण्ड ।
8 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशोधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9 वित्त व्यय अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।